न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 98 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/110)
पंजीयन दिनांक– 25.02.2021
निर्णय दिनांक– 08.10.2021

श्री नारायण पिता हेमा मेघवाल, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़ मृतक के बजायः–

1. श्री पवन पिता स्व. नारायण मेघवाल, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री अंकित पिता स्व. नारायण मेघवाल, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्रीमती गीताबाई पत्नि स्व. नारायण मेघवाल, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्रीमती कमला पिता स्व. नारायण मेघवाल, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती भैरीबाई पत्नि धन्ना मेघवाल, निवासी लसडावन, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री नरेन्द्र सोनी – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भरत सनाढ्य – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के
प्रकरण संख्या 06/2017 निर्णय दिनांक 20.12.2017

निर्णय

दिनांक 08.10.2021

अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड़ अधिकारी, निम्बाहेडा के प्रकरण संख्या 06/2017 निर्णय दिनांक 20.12.2017 के विरूद्ध दिनांक 04.05.2018 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 5 सहपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी बाबत स्थगन प्राप्त किये जाने के साथ पेश की गई है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 25.02.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट ने एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम लसडावन की खाता संख्या 530 की आराजी नम्बर 431/1, 435/1, 498, 499, 436 कुल किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है जो पूर्व में रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट के पिता हेमा पिता मोती चमार के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। हेमा की मृत्यु के बाद उनके वैद्य उत्तराधिकारी उनका पुत्र अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 नारायण व पुत्री भैरी बाई तथा पत्नि गेंदी बाई हुई। हेमा की मृत्यु के बाद अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 नारायण ने हेमा की पुत्री भैरी बाई होने का तथ्य छिपाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामांतरकरण संख्या 1347 हेमा के दो वारिस

नारायण व गेन्दी बाई होना बताकर बगैर रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट की जानकारी में लाये गलत तौर पर तस्दीक करा दिया जिसकी कोई जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट को नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व सभी इन्ट्रेस्टेड पर्सन को विधिवत सूचना पत्र जारी नही किये। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट, अपीलांट/रेस्पोडेंट संख्या 1 व गेन्दी बाई का हेमा की विरासत में बराबर–बराबर हक हिस्सा है फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट के नाम विरासत दर्ज नहीं करके प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत निर्णय दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 06/2017 दर्ज कर निर्णय दिनांक 20.12.2017 से रेस्पोडेंट संख्या 1/अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.12.2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत, लसडावन का निर्णय नामांतरकरण संख्या 1347 दिनांक 22.03.1995 को खारिज किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार, निम्बाहेडा को रिमाण्ड कर आदेश दिया जाता है कि मृतक हेमा के सभी विधिक वारिसान की पूर्ण जांच कर नियमानुसार विरासत का नामांतरकरण निर्णित किया जावें।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया

गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सोनी उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत सनाढ्य उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा पूर्व में भी एक अपील अधीनस्थ न्यायालय में इसी नामांतरण के विरूद्ध पेश की जिसके प्ररकण संख्या 26/2016 जो दिनांक 27.12.2016 को निर्णित कर अपील खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध रिव्यु का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है जो विचाराधीन होकर पेशी दिनांक 21.05.2018 नियत थी। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में पुनः अपील पेश की जिसमें अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया नही अपीलांट को नोटिस तामिल हुए, निर्णय पारित कर दिया जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है। मौजा लसडावन स्थित संपूर्ण भूमि पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त शुरू से चला आ रहा है रेस्पोडेंट संख्या 1 का कभी भी एक क्षण के लिए भी अपीलाधीन भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा है। न ही कोई हक हिस्सा व स्वार्थ उक्त भूमि में नही है। अपीलाधीन भूमि के बारे में श्री कालु पिता नारायण मेघवाल व भैरू पिता नारयण मेघवाल द्वारा उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के यहां पर वादपत्र घोषणात्मक डिक्री व स्थाई निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 88, 188 के तहत एवं वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन भी पेश कर रखा है जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 पक्षकार थी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर रखा था। जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट को थी। उक्त सभी तथ्यों को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी, जबकि सक्षम न्यायालय में वाद

पूर्व से विचाराधीन चल रहा था एवं स्थगन आदेश जारी था। तथा जो भी हक अधिकार है व मूल वाद में साक्ष्य सबुत लेकर निर्णित किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया ग्राम लसडावन की खाता संख्या 530 की आराजी नम्बर 431/1, 435/1, 498, 499, 436 कुल किता 5 कुल रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित है जो पूर्व में रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता हेमा पिता मोती चमार के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। हेमा की मृत्यु के बाद उनके वैद्य उत्तराधिकारी उनका पुत्र अपीलांट नारायण व पुत्री भैरी बाई तथा पत्नि गेंदी बाई हुई। हेमा की मृत्यु के बाद अपीलांट नारायण ने हेमा की पुत्री भैरी बाई होने का तथ्य छिपाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामांतरकरण संख्या 1347 हेमा के दो वारिस नारायण व गेन्दी बाई होना बताकर बगैर रेस्पोडेंट संख्या 1 की जानकारी में लाये गलत तौर पर तस्दीक करा दिया जिसकी कोई जानकारी रेस्पोडेंट संख्या 1 को नही थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नामांतरकरण तस्दीक करने से पूर्व सभी इन्ट्रेस्टेड पर्सन को विधिवत सूचना पत्र जारी नही किये। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेंट, अपीलांट व गेन्दी बाई का हेमा की विरासत में बराबर–बराबर हक हिस्सा है फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम विरासत दर्ज नहीं करके प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत निर्णय दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किया जाना न्यायोचित होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2017 नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 20.12.2017 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.02.2017 को किया गया है जिसकी अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.05.2018 को प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में जैसाकि अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन में वर्णित किया गया है अपीलाण्ट को बिना प्रोपर तामील करवाये, बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया, जिसकी जानकारी दिनांक 26.04.2018 को रेस्पोंडेण्ट को भूमि से बेदखल किये जाने की धमकी आधार पर हुई। प्रकरण में हम अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट की तामील का अवलोकन करते हैं तो यह पाते है कि अपीलाण्ट की तामील पर यह वर्णित है –''उक्त आसामी बाहर गया हुआ है, उसके आबाद मकान पर चस्पा किया तथा मौतबीरान से दस्तखत कराये गये।'' यह तामील दिनांक 26.09.2017 के लिए जारी की गयी दिनांक 26.09.2017 की उक्त तामील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगामी दिनांक 24.10.2017 को व्यस्त होने के बाद दिनांक 12.12.2017 को तामील मानकर रेस्पोंडेण्ट यानि इस प्रकरण के अपीलाण्ट को बावजूद तामील के अनुपस्थित मान लिया। जाब्ता दीवानी के प्रावधानों अनुसार यदि संबंधित पक्षकार अनुपस्थित हो तो उसके परिवार के वयस्क सदस्यों को तामील करवानी चाहिये। इस प्रकरण में खुले एवं आबाद मकान पर चस्पानगी किया जाना प्रावधानों के विपरीत एवं संदिग्ध तामील होने से अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं होना स्पष्ट होता है एवं तद्नुसार

अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी होना स्पष्ट नहीं होता एवं तद्नुसार मयाद कण्डोन किये जाने के आधार पर उपलब्ध होने से मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये आदेश 41 नियम 27 जा. दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। उक्त आवेदन में अपीलाण्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी के यहां लम्बित वाद जो दिनांक 19.12.2016 को विवादित आराजीयात के सन्दर्भ में ही दर्ज हुआ है, उसकी प्रमाणित प्रति, आदेशिका की प्रमाणित प्रति, उपखण्ड अधिकारी के पूर्व प्रकरण संख्या 26/2016 निर्णय दिनांक 27.12.2016 की फोटोप्रति एवं इसी निर्णय के पुनरावलोक के आवेदन की फोटो प्रति पेश की है। सभी दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जा सकें है तथा दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत है। उपखण्ड अधिकारी के पूर्व निर्णय व रिव्यू प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत अपील संख्या 26/2016 की अप्रमाणित प्रतिलिपियां पेश की गयी परन्तु वे पूर्वतः इस न्यायालय में पेशशुदा अपील के मेमो संख्या 3 में वर्णित है तथा उनका कोई खण्डन उपलब्ध नहीं है, अतएवं उन्हें सुसंगत दस्तावेज मानने एवं उनके संदिग्ध होने बाबत् कोई शंका नहीं होने से उन्हें भी रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। तद्नुसार अपीलाण्ट का आदेश 41 नियम 27 जा. दी. का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अब हम प्रकरण के अपील मेमों एवं उभय पक्ष की सुनी गयी बहस के आधार पर प्रकरण में निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलाण्ट का प्रथम उज्र यह है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 1347 निर्णय दिनांक 22.05.1995 तहसीलदार द्वारा निर्णित नामान्तकरण जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी को सुनने की सक्षमता नहीं होने के बावजूद उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण

को सुनकर निर्णय पारित किया गया है, अतएवं यह निर्णय सक्षमता विरूद्ध होने से उक्त अपील का निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। हम अपीलाण्ट के तर्क से सहमत है क्योंकि स्पष्टतः विवादित नामान्तकरण संख्या 1347 निर्णय दिनांक 22.05.1995 तहसीलदार द्वारा तस्दीकशुदा नामानतकरण है, जिसकी अपील सुनने की सक्षमता व श्रवणाधिकार उपखण्ड अधिकारी को **Lie** नहीं होता एवं तद्नुसार प्रथम दृष्टया ही अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.2017 सक्षमता विहीन होना है, जो प्रारम्भ से ही विधिविरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

प्रकरण में अन्य महत्वपूर्ण उज्र जो अपीलाण्ट द्वारा लिया गया है, वह यह है कि रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा पूर्व में इसी नामान्तकरण के विरूद्ध एक अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसके प्रकरण संख्या 26/2016 है जो दिनांक 27.12.2016 को अंतिम रूप से निर्णीत कर रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 की अपील खारिज कर दी गयी है जिस हेतु रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा रिव्यू का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें आगामी पेशी 21.05.2018 नियत है। इस प्रकार रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर पूर्व में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का अंतिम तौर पर निर्णय पारित कर दिया गया था, उसके बावजूद भी उक्त तथ्यों को छिपाकर उसी नामान्तकरण के विरूद्ध पुनः अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर दी जिसमें अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजानुसार यह स्पष्ट होता है कि उन्हीं पक्षकारान के मध्य अर्थात् इसी रेस्पोंडेण्ट भेरीबाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इसी विषय वस्तु को लेकर अपील संख्या 26/2016 प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.2.2016 से अपीलाण्ट भेरीबाई की अपील खारिज कर दी थी, जिसके विरूद्ध

उसके द्वारा रिव्यू आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था, जिसके लम्बित होने बाबत् अपीलाण्ट के कथनों का कोई खण्डन नहीं है तथा दौराने बहस दिनांक 27.09.2021 को रेस्पोंडेण्ट को दस्तावेजों व लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया परन्तु आज दिनांक तक उसके द्वारा कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट भेरीबाई स्वयं एक अपील उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में ही विवादित विषय–वस्तु को लेकर अपीलाण्ट के विरूद्ध प्रस्तुत करती है एवं उसमें उसकी अपील खारिज हो जाती है तथा उसका रिव्यू प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में वह प्रस्तुत करती है अर्थात् नामान्तकरण संख्या 1347 निर्णय दिनांक 22.03.1995 के विरूद्ध उसके द्वारा जो अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की थी, वह खारिज होने के बाद उसका रिव्यू अधीनस्थ न्यायालय में उसके स्वयं के द्वारा पेशशुदा है अर्थात् इन्हीं पक्षकारान के मध्य समान विषय–वस्तु पर अपील अथवा उसका रिव्यू अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत होना एवं अपील खारिज होने व रिव्यू लम्बित होने के बावजूद उसी प्रकरण में उसी विषय–वस्तु पर उन्हीं पक्षकारान के मध्य दोबारा अपील संख्या 06/2017 अधीनस्थ न्यायालय में भेरीबाई रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत कर देना निःसंदेह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। प्रकरण में न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है परन्तु न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर एक प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद उसके खारिज हो जाने के बाद उसका रिव्यू को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद अर्थात् एक प्रकरण में अपील खारिज होने जाने के बाद उसी विषय–वस्तु को लेकर उसके खारिज की अपील करने के स्थान पर उसी न्यायालय में पुनः उसी विषय–वस्तु का उन्हीं पक्षकारों के मध्य दोबारा अपील प्रस्तुत कर देना एवं द्वितीय अपील जो वह प्रस्तुत करता है, उसमें प्रथम अपील या उसके रिव्यू के तथ्यों को छिपाकर अपील प्रस्तुत करना निःसंदेह न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग एवं

सदाचरण नहीं रखना एवं अस्वच्छ हाथों से मलीनतापूर्वक न्यायालय को धोखे में रखते हुए निर्णय करवाने की परिभाषा में आता है, तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.2017 अन्तर्गत अपील संख्या 06/2017 प्रथम दृष्टया पश्चात्वर्ती अस्वच्छ हाथों से पेश की गयी अपील होने के कारण खारिज योग्य है।

अपीलाण्ट द्वारा अन्य तथ्य यह वर्णित किये गये हैं कि उसके द्वारा वाद भी प्रस्तुत किया गया है तथा वाद में निर्णय के आधार पर ही प्रकरण में निर्णय होना चाहिये। अपीलाण्ट का यह उज्र भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाण्ट द्वारा अपील संख्या 26/2016 निर्णय दिनांक 27.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय को पूर्व निर्णय की जानकारी दिये बिना पुनः उसी विवादित विषय–वस्तु को उन्हीं पक्षकारों के मध्य दोबारा अपील प्रस्तुत करने का जो कृत्य किया है, वह निःसंदेह विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है एवं न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है एवं तद्नुसार प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.12.2017 अन्तर्गत अपील संख्या 06/2017 अपास्त किया जाता है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर